

27-03-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज लगाई गई किन्तु वादी असालतन या
वकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः दख्त वादी अद्वय
दफ्तरी व अद्वय चैखी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो खं
बाद तक्मील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी